<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1920

28 नवम्बर, 2016 को उत्तर के लिए

वीएसपी हेतु रक्षित खानें

1920. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) ने अपने लाभकारी प्रचालनों के लिए 'लौह अयस्क और कोयला के रक्षित खानों' के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को रक्षित लौह अयस्क खानें आवंटित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के पास उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>इस्पात राज्य मंत्री</u> **<u>(श्री विष्णु देव साय)</u>**

(क) से (ग): माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) में संशोधन से पूर्व विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने विभिन्न राज्यो में लौह अयस्क खानों के आवंटन के लिए 29 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे, जिनमें से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बनेरा तहसील में एक लौह अयस्क ब्लॉक आवंटित किया गया है और शेष आवेदन पत्र माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेन्ट एक्ट, 2015 के लागू होने के पश्चात अयोग्य हो गये है।

वर्ष 2015 के संशोधन अधिनियम के पश्चात दिये गये आवेदन पत्र माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट,1957 जोकि माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेन्ट एक्ट, 2015 द्वारा यथासंशोधित है, से विनियमित होते है, जिसमें राज्य सरकारों को धारा 10 ए के तहत् नीलामी की विधि के जरिए अथवा अधिनियम की धारा 17 ए (2 ए) के तहत् आरक्षण रूट के जरिए खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तियां दी गई है। इसलिए, नये खनन पट्टो के आवेदन पत्र संशोधन अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होने हैं।

(घ): वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही (अप्रैल, 2016-सितम्बर, 2016) में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 1.73 मिलियन टन था।

(ड.): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। निवेश, संसाधनों के उपयोग इत्यादि से संबंधित निर्णय सीपीएसई द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता समेत विभिन्न कारकों के आधार पर लिये जाते है। उपयुक्त स्तरों पर समीक्षाएं की जाती है तथा वीएसपी समेत इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई से संबंधित मुद्दों, जो कि अन्य मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के साथ उठाये जाने होते है, को अभिज्ञात करके इन पर कार्रवाई की जाती है।

***